

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

सतवीर सिंह बनाम मोहनलाल आरि

दावा बाबत :- 88.87 Act

मुकदमा नम्बर :- 295/2021

निर्णय दिनांक :- 09-11-2021

वादी की ओर से वकील... की व प्रतिवादी सं०... की ओर से वकील... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख... को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोह भोजा वेज के खाता सं- 295/291 के खाता सं- 328/1 की 2.530 हे०, खसरा सं- 570 की 5.678 हे० कुल 8.208 हे० मारानी खातेदार के प्रतिवादी सं० मोहनलाल के नाम 1/3 हिस्सा व रोह वेज के खसरा सं- 340/2 की 1.235 हे० व खसरा सं- 82/328 की 0.577 हे० कुल 1.812 हे० मारानी खातेदार प्रतिवादी सं० के नाम रामूख रिकॉर्ड के दफे ए से इनल प्रतिवादी सं० मोहनलाल के नजारे वादी सतवीर सिंह व प्रतिवादी सं० मोहनलाल व प्रतिवादी सं० 2 रजिस्टर नुमाद के मदिरसे परावर के खातेदार कक्षलानार वीसित निपे जाते है यदि लवि मुक्ति वरु के खेन हो ता रजिमुक्त होत के उपरान्त ही कामले रिकॉर्ड में इनल परामद न किया जावे रामानामा का-के डिक्री का माता यही जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की द्वा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़